भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **1541**

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 फरवरी, 2020/22 माघ, 1941 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों पर राजसहायता

1541. श्रीमती चिंता अनुराधा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता का अपेक्षित लाभ मिल रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कुछ कंपनियां कम उत्पादन क्षमता दिखाने की रणनीति का सहारा लेती हैं और प्रतिशत उत्पादन के आधार पर भारी राजसहायता प्राप्त करती हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
(ड.) गरीब और सीमांत किसानों को राजसहायता का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क), (ख) और (ड.): जी हां। जहां तक यूरिया का संबंध है, यह किसानों को सांविधिक अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान की जाती है। यूरिया की 45 किग्रा. की बोरी की एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी है (जिसमें नीम लेपन के लिए यथा लागू प्रभार और कर शामिल नहीं है) और यूरिया की 50 किग्रा. की बोरी की एमआरपी 268 रुपये प्रति बोरी है (जिसमें नीम लेपन के लिए यथा लागू प्रभार और कर शामिल नहीं है)। फार्म गेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत तथा यूरिया इकाईयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, किसान वहनीय राजसहायता मूल्य पर यूरिया प्राप्त कर रहे हैं। पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए, दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) स्कीम कार्यान्वित की है। नीति के तहत, वार्षिक तौर पर निर्धारित राजसहायता की एक नियत राशि राजसहायता प्राप्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों को उनके पोषकतत्व अवयव के आधार पर प्रदान की जाती है। इस नीति के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का नियतन कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ावों के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर किया जाता है, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, कोई भी किसान, जिनमें गरीब तथा सीमांत किसान भी शामिल हैं; जो इन उर्वरकों को खरीद रहा है, उसे राजसहायता का लाभ मिल रहा है।

(ग) एवं (घ): जी नहीं, जहां तक यूरिया का संबंध है, आरएसी तक के उत्पादन के लिए इकाइयां अपने संबंधित परिवर्तनीय लागत तथा नियत लागत की हकदार हैं तथा आरएसी से अधिक उत्पादन हेतु इकाइयां अपनी संबंधित परिवर्तनीय लागत तथा सभी स्वेदशी यूरिया इकाई की प्रति मीट्रिक टन नियत लागत के निम्नतम के बराबर एकसमान प्रति मीट्रिक टन प्रोत्साहन के लिए हकदार हैं, जोकि आयात समता मूल्य तथा अन्य आकस्मिक प्रभारों के भारित औसत, जिसे सरकार यूरिया के आयात पर खर्च करती है, के अधीन है। अतः कंपनियों द्वारा कम उत्पादन क्षमता दिखाने की संभावना नहीं है। वर्तमान में राजसहायता के भुगतान का पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन से कोई संबंध नहीं है।

****